[2022] 13 एस. सी. आर. 367

जिगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया

वी.

गुजरात राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1656)

23 सितंबर, 2022

[अजय रस्तोगी और अभय एस. ओका, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.167 (2)-गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 - एस. 20 (2) -

2015 के अधिनियम द्वारा एस की उप-धारा (2) में प्रावधान जोड़ा गया। 167 , सी. आर. पी. सी की व्याख्या।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.167 (2)-डिफ़ॉल्ट जमानत गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015

एस. 20 (2) – धाराओं की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत शक्ति के प्रयोग में पारित विस्तार का आदेश। 20 2015 के अधिनियम की वैधता-2015 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी में अपीलकर्ता आरोपी हैं-लोक अभियोजक द्वारा जांच पूरी करने के लिए 180 दिनों तक का समय बढ़ाने की मांग करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी-विशेष अदालत द्वारा 180 दिनों तक का समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गई थी-अपीलकर्ताओं ने अलग से दायर किया था

अनुप्रयोग यू / s.482, सी. आर. पी. सी., उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः न्यायिक हिरासत तक रिमांड का विस्तार करते समय, आरोपी की उपस्थिति या तो शारीरिक रूप से या वस्तुतः प्राप्त की जानी चाहिए

यह कानून की अनिवार्य आवश्यकता है-न्यायिक हिरासत बढ़ाने की शक्ति के प्रयोग के लिए यह अनिवार्य है-जब विशेष न्यायालय धाराओं की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत विस्तार देने की शक्ति का प्रयोग करता है। 20 2015 के अधिनियम के अनुसार, यह आवश्यक रूप से न्यायिक हिरासत की अवधि को आगे बढ़ाएगा।

90 180 दिनों तक के दिन-इसलिए, एस के संदर्भ में भी। 167 (2) (ख) अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करना अनिवार्य है।

विशेष न्यायालय जब जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर विचार किया जाता है-इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष शारीरिक या वस्तुतः अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करने में विफलता और उसे सूचित करने में विफलता कि लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार किया जा रहा है, केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है-यह घोर अवैधता है जो अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन करती है-इस प्रकार, पूर्वाग्रह अंतर्निहित है और इसकी आवश्यकता नहीं है।

अभियुक्त द्वारा स्थापित किया जाए-वर्तमान मामले में, आदेश थे

विशेष न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर उसी दिन पारित किया गया जिस दिन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी-इस तरह की जल्दबाजी का कोई कारण नहीं था-बेशक, लोक अभियोजक द्वारा ऐसी रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में जानकारी अभियुक्त को प्रदान नहीं की गई थी-विशेष न्यायालय द्वारा जांच की अवधि बढ़ाने के आदेश की विफलता के कारण अवैध हैं। जब लोक अभियोजक द्वारा विस्तार की मंजूरी के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया गया था तो प्रतिवादी को विशेष अदालत के समक्ष या तो शारीरिक रूप से या वस्तुतः पेश करने के लिए-इस प्रकार, अपीलार्थी डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार हैं-विशेष अदालत द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश जो जांच को पूरा करने के लिए विस्तार प्रदान करते हैं और आक्षेप करते हैं

उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है-अपीलकर्ताओं को डिफ़ॉल्ट जमानत पर बढ़ा दिया जाता है s.167 (2) निर्देशित शर्तों पर-भारत का संविधान Art.21।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.167 (2)-गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 - एस. 20 (2) -

उप-धारा (2) द्वारा जोड़े गए परंतुक के तहत रिपोर्ट की आवश्यकता एस. 20 एस की उप-धारा (2) के खंड (बी) के लिए 2015 अधिनियम। 167 आयोजित सी. आर. पी. सी.: दो गुना है-सबसे पहले, जनता की रिपोर्ट में

अभियोजक, जाँच की प्रगति निर्धारित की जानी चाहिए और दूसरा, रिपोर्ट में अभियुक्त को 90 दिनों की उक्त अवधि के बाद भी हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का खुलासा किया जाना चाहिए -

इसलिए, समय का विस्तार एक खाली औपचारिकता नहीं है-लोक अभियोजक को एक रिपोर्ट/विस्तार के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपना दिमाग लगाना पड़ता है-अभियोजन को उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं के संदर्भ में एक मामला बनाना होता है और न्यायालय को विस्तार देने के अनुरोध को स्वीकार करने से पहले रिपोर्ट की सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.167 (2)-पूर्वनिर्धारित जमानत-आयोजितः एस की उप-धारा (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का अक्षम्य अधिकार। 167 यह अनुच्छेद 21-भारत के संविधान-अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

शब्द और वाक्यांश-"या किसी अन्य अधिनियम के तहत"-गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 - एस. 20 (5)-आयोजितः महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत शांति लाल शाह ने [2008] 12 एस. सी. आर. 1083 के रूप में बताया कि अभिव्यक्ति "या किसी अन्य अधिनियम के तहत"

उप-सेक में दिखाई देता है। (5) एस.

21 एम. सी. ओ. सी. ए. का आदेश जीगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम का उल्लंघन था। का राज्य

गुजरात

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 और इसलिए, इसे निरस्त किया जाना चाहिए-इसलिए, धाराओं की उप-धारा (5) में उपयोग की गई वही अभिव्यक्ति। 20 2015 अधिनियम के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है

संविधान-भारतीय संविधान-अनुच्छेद 14,21।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. पूरा मुद्दा इसके इर्द-गिर्द घूमता है

2015 के अधिनियम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) में जोड़े गए परंतुक की व्याख्या। 2015 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों से जुड़े मामले में, विशेष अदालत आरोपी व्यक्ति को 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत है। 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा सी. आर. पी. सी. की धारा 167 की उप-धारा (2) में जोड़ा गया परंतुक विशेष न्यायालय को लोक अभियोजक की एक रिपोर्ट के आधार पर उक्त अवधि को कुल 180 दिनों तक बढ़ाने में सक्षम बनाता है जिसमें जांच की प्रगति का उल्लेख किया गया है और 90 दिनों की अवधि से आगे अभियुक्त को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों को शामिल किया गया है। इस प्रकार, जब तक विशेष न्यायालय 2015 के अधिनियम द्वारा धाराओं की उप-धारा (2) में जोड़े गए परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। 167 सी. आर. पी. सी. के अनुसार, 90 दिनों की अवधि समाप्त होने पर अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा। जब विशेष न्यायालय धाराओं की उप-धारा (2) में जोड़े गए परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग करता है। 167 , सी. आर. पी. सी. और समय को 180 दिनों तक बढ़ाते हुए, आरोपी केवल तभी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा जब विस्तारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है। जैसा कि 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) से देखा जा सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 और विशेष रूप से उप-धारा (2) के प्रावधान 2015 के अधिनियम पर लागू होंगे, जिसमें अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) में 180 दिनों तक की अवधि का प्रावधान किया गया है। [पारस 15-18] [384-B; 387-D-H; 388-A] 2. मकोका की धारा 21 की उप-धारा (5) में 2015 की धारा 20 की उप-धारा (5) के समान प्रावधान थे।

एक्ट करें। भारत शांति लाल शाह के मामले में, यह न्यायालय, [2022] 13 एस. सी. आर. के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैराग्राफ 62 से 65 में दर्ज कारण, बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत थे कि मकोका की धारा 21 की उप-धारा (5) में दिखाई देने वाली "या किसी अन्य अधिनियम के तहत" अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन थी और,

इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। इसलिए, 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) में उपयोग की गई वही अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ताओं में से कोई भी 2015 के अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए जमानत पर नहीं था और इसलिए, डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए अनुरोध पर विचार करने के लिए इन मामलों के तथ्यों में धारा 20 की उप धारा (5) द्वारा कोई बाधा पैदा नहीं की गई है। [पैरा 21] [332-बी-डी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत शांति लाल शाह और

ओआरएस। (2008) 13 एससीसी 5: [2008] 12 एससीआर 1083-निर्भर पर।

भारत शांति लाल शाह और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य 2003 सभी एम. आर. (सी. आर. एल.) 1061-संदर्भित।

3.1 इन अपीलों में शामिल मुद्दे का निर्णय उस कानूनी स्थिति के संदर्भ में किया जाएगा जिसका अधिकार

सी. आर. पी. सी. की धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। न्यायालय के समक्ष प्रश्न 2015 के अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय की विफलता के कानूनी परिणामों के बारे में है जो लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के समय अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करने में विफल रहा है ताकि जांच को पूरा करने के लिए समय बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, इस न्यायालय को विचार करना होगा अभियुक्त को सूचना देने में विफलता का प्रभाव

3.2 सी. आर. पी. सी. की धारा 167 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में कहा गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट इन लोगों को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। पुलिस की हिरासत में आरोपी जब तक कि आरोपी को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से पेश करने पर न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार, कानून की आवश्यकता यह है कि विस्तार करते समय

न्यायिक हिरासत में रिमांड, आरोपी की उपस्थिति जिगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम होनी चाहिए।

का राज्य

गुजरात

भौतिक रूप से या वस्तुतः खरीदा गया। यह कानून की अनिवार्य आवश्यकता है। न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने की शक्ति के प्रयोग के लिए यह आवश्यकता अनिवार्य है। कारण यह है कि अभियुक्त को प्रार्थना का विरोध करने का अधिकार है

रिमांड का विस्तार। जब विशेष न्यायालय 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत विस्तार देने की शक्ति का प्रयोग करता है, तो यह आवश्यक रूप से न्यायिक हिरासत को 90 दिनों की अवधि से आगे बढ़ा देगा। 180 दिनों तक। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के खंड (बी) की आवश्यकता के संदर्भ में भी, विशेष न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करना अनिवार्य है।

जब जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर विचार किया जाता है। वास्तव में, संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने अपने अनुच्छेद 53 (2) (ए) के पहले भाग में संजय दत्त के मामले में निर्णय ऐसा ही है। धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा जोड़े गए परंतुक के तहत रिपोर्ट की आवश्यकता

2015 के अधिनियम के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में दो खंड हैं। सबसे पहले, लोक अभियोजक की रिपोर्ट में, जांच की प्रगति निर्धारित की जानी चाहिए और दूसरा, रिपोर्ट को जारी रखने के लिए विशिष्ट कारणों का खुलासा करना चाहिए।

अभियुक्त को 90 दिनों की उक्त अवधि से आगे हिरासत में रखना। इसलिए, समय का विस्तार एक खाली औपचारिकता नहीं है। लोक अभियोजक को प्रस्तुत करने से पहले अपना दिमाग लगाना होता है

रिपोर्ट/विस्तार के लिए एक आवेदन। अभियोजन पक्ष को उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं के संदर्भ में एक मामला बनाना होता है और न्यायालय को विस्तार देने के अनुरोध को स्वीकार करने से पहले रिपोर्ट की सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। [पैरा 28] [398-सी-एच; 399-ए-बी]

संजय दत्त बनाम सी. बी. आई. के माध्यम से राज्य, बॉम्बे (II) (1994) 5

एस. सी. सी. 410 [1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 263-अनुसरण किया गया।

3.3 अभियुक्त को उस समय पेश करना अनिवार्य है जब न्यायालय विस्तार के लिए आवेदन पर विचार करता है और

अभियुक्त को सूचित किया जाना चाहिए कि जाँच की अवधि बढ़ाने के सवाल पर विचार किया जा रहा है। अभियुक्त अधिकार के रूप में रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का हकदार नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें की गई जाँच का विवरण हो सकता है। लेकिन, यदि प्रत्यर्थियों का निवेदन स्वीकार किया जाता है कि मामले में अभियुक्त का कोई कहना नहीं है, तो [2022] 13 एस. सी. आर. द्वारा नोटिस देने की आवश्यकता है।

अभियुक्त को पेश करना एक खाली और अर्थहीन हो जाएगा

औपचारिकता। इसके अलावा, यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के प्रावधान के खंड (बी) के अधिदेश के खिलाफ होगा। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त विस्तार के लिए आवेदन पर कोई आपत्ति उठाने का हकदार नहीं है। आपत्तियों का दायरा सीमित हो सकता है। अभियुक्त हमेशा न्यायालय को यह बता सकता है कि प्रार्थना लोक अभियोजक द्वारा की जानी चाहिए न कि जाँच एजेंसी द्वारा। दूसरा, अभियुक्त हमेशा 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) में जोड़े गए परंतुक के संदर्भ में रिपोर्ट की दोहरी आवश्यकताओं को इंगित कर सकता है। अभियुक्त हमेशा न्यायालय को इंगित कर सकता है कि जब तक यह संतुष्ट नहीं होता है कि दोहरी आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया जाता है, तब तक विस्तार नहीं दिया जा सकता है। समय के विस्तार के अनुदान का तार्किक और कानूनी परिणाम उपलब्ध अक्षम्य अधिकार से वंचित होना है।

2015 अधिनियम और वह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसका कारण अनुदान है समय का विस्तार अभियुक्त के डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने के अधिकार को छीन लेता है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया, जिसका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने से पहले पालन किया जाना आवश्यक है, एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। वास्तव में, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय

उसे सूचित करें कि लोक अभियोजक द्वारा समय बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर विचार किया जा रहा है, यह केवल एक आवेदन नहीं है प्रक्रियात्मक अनियमितता। यह घोर अवैधता है जो अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि अभियुक्त को पेश करने में विफलता से कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा

उसे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जाँच को पूरा करने के लिए समय का विस्तार अभियुक्त के डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करने के अक्षम्य अधिकार को छीन लेता है। यह अभियुक्त के जिगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम के अधिकार को छीन लेता है।

राज्य की स्थिति

गुजरात

विस्तार के लिए प्रार्थना पर एक सीमित आपत्ति उठाएँ। समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर विचार के समय अभियुक्त को अदालत के समक्ष पेश करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन होगी। इस प्रकार, पूर्वाग्रह अंतर्निहित है और इसकी आवश्यकता नहीं है

अभियुक्त द्वारा स्थापित। [पारस 29-31] [399-C-H; 400-A-B]

हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र और अन्य (1994) 4 एससीसी 602 [1994] 1

पूरक। एस. सी. आर. 360-संदर्भित।

3.4 हाथ में मामलों के तथ्यों में, जब विशेष न्यायालय ने लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार किया

समय का विस्तार प्रदान करते हुए, अपीलकर्ताओं की उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष न्यायालय के समक्ष स्वीकार नहीं की गई थी। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि जनता द्वारा ऐसी रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में जानकारी

अभियुक्त को अभियोजक उपलब्ध नहीं कराया गया था। विवादित फैसले में यह उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 के कारण, विशेष अदालत के समक्ष आरोपी को शारीरिक रूप से पेश करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, आरोपी अलग-अलग जेलों में थे और इसलिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्पादन बहुत धीमा होता। यह मानते हुए कि उत्पादन की प्रक्रिया धीमी रही होगी, यह उपस्थिति प्राप्त नहीं करने का कोई बहाना नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से अभियुक्त। इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि 2021 आदि तक जनवरी 2021 में संबंधित न्यायालय पर लागू मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जब विस्तार देने वाले विवादित आदेश पारित किए गए थे, तो अभियुक्त को विशेष न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करने की अनुमति नहीं थी। रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि तकनीकी कारणों/कठिनाइयों ने अभियोजन पक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष अदालत के समक्ष आरोपी को पेश करने से रोका। यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि जनवरी 2021 में गुजरात राज्य के राजकोट में अदालत में संपर्क का कोई मुद्दा था। वास्तव में, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादियों की दलीलों में उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं चलाया गया था। अभियुक्तों को अलग-अलग तिथियों पर गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट जनता द्वारा प्रस्तुत की गई थी

अभियोजक 90 [2022] 13 एस. सी. आर. की अवधि समाप्त होने से लगभग एक सप्ताह पहले।

दिन होते हैं। प्रत्येक मामले में, सात दिन या उससे अधिक की अवधि उपलब्ध थी।

नब्बे दिनों की अवधि पूरी करने के लिए। विशेष न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर उसी दिन आदेश पारित किए गए थे जिस दिन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इतनी जल्दबाजी का कोई कारण नहीं था। अभियुक्त रिपोर्ट की सामग्री को जानने का हकदार नहीं हो सकता है, लेकिन वह कानूनी रूप से उपलब्ध आधारों पर समय बढ़ाने का विरोध करने का हकदार है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किए बिना समय बढ़ाने का अनुदान संविधान पीठ ने अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत लेने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। विशेष अदालत द्वारा जांच की अवधि बढ़ाने के आदेशों को प्रतिवादी द्वारा विशेष अदालत के समक्ष आरोपी को पेश करने में विफलता के कारण अवैध बना दिया गया है।

या तो भौतिक रूप से या वस्तुतः जब लोक अभियोजक द्वारा विस्तार देने के लिए की गई प्रार्थना पर विचार किया गया था। यह सुनिश्चित करना विशेष न्यायालय का कर्तव्य था कि यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया

सुरक्षा का पालन किया गया। इसके अलावा, मौखिक सूचना, के रूप में

संजय दत्त के मामले में इस अदालत द्वारा विचार किया गया, वह भी आरोपी को नहीं दिया गया था। एक बार जब यह माना जाता है कि पूर्ण जांच के लिए विस्तार देने वाले आदेश अवैध हैं और दूषित हो जाते हैं, तो यह इस प्रकार है कि अपीलार्थी डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार हैं। विशेष न्यायालय द्वारा जांच पूरी करने के लिए विस्तार देने वाले विवादित आदेश और उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय न्यायालय एतद्द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को निर्देश के अनुसार शर्तों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत पूर्वनिर्धारित जमानत पर रिहा किया जाएगा। [पारस 33-36 और 39] [400-GH; 401-A-H; 402-A, D]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। सुरेंद्र पुंडलिक गाडलिंग और अन्य। (2019) 5 एस. सी. सी. 178 [2019] 3 एस. सी. आर. 310 आयोजित

अप्रयोज्य।

उदय मोहनलाल आचार्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2001) 5 एस. सी. सी. 453 [2001] 2 एस. सी. आर. 878; एम. रवींद्रन बनाम

खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशालय (2021) 2 एस. सी. सी. 485: 2020 (10) जे. टी. 383; राकेश कुमार पॉल बनाम। असम राज्य (2017) 15 एससीसी 67: [2017] 8

एस. सी. आर. 785 पर भरोसा किया।

- जिगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम। राज्य

गुजरात

संजय कुमार केडिया उपनाम संजय केडिया बनाम। बुद्धिमत्ता

अधिकारी, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और एक अन्य (2009)

17 एससीसी 631: [2010] 1 एससीआर 555-बाध्यकारी नहीं है

पूर्ववर्ती।

आतिफ नासिर मुल्ला बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2005) 7 एससीसी

पुलिस निरीक्षक समयनल्लूर पुलिस स्टेशन मदुरै जिला 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 529; बिक्रमजीत

सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2020) 10 एससीसी 616: [2020]

10 जे. टी. 53; मुजम्मिल पाशा और अन्य। आदि. वी. राष्ट्रीय

जाँच एजेंसी आदि। 2021 एससीसी ऑनलाइन कर

12688 ; नरेंदर जी. गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य और

एन. आर. (2009) 6 एससीसी 65: [2009] 8 एससीआर 1004; फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। वी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो और ए. एन. आर. (2021) 2 एससीसी

525 2020 (11) जे. टी. 10; प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

भारत आदि का। गौरव वार्ष्णेय और अन्न। आदि (2016) 14

एस. सी. सी. 430 [2016] 7 एस. सी. आर. 1; देविंदरपाल सिंह बनाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार

(1996) 1 एससीसी 44: [1995] 5 पूरक। एससीआर 199; मोहम्मद

इकबाल मदार शेख और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य

(1996) 1 एससीसी 722: [1996] 1 एस. सी. आर. 183 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1994] 1 पूरक। एससीआर 360

पैरा

5

संदर्भित किया गया है

[1994] 3 पूरक। एससीआर 263

पैरा

5

पीछा किया।

[2005] 2 पूरक। एससीआर 919

संदर्भित किया गया है

पैरा

6

[2010] 1 एससीआर 555

आयोजित नहीं किया गया

पैरा

6

बाध्यकारी पूर्ववर्ती

[2009] 8 एससीआर 1004

पैरा

8

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एससीआर 310

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

9

[2008] 12 एससीआर 1083

उस पर भरोसा करें

पैरा

13

[2016] 7 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19 (सी)

[2017] 8 एससीआर 785

उस पर भरोसा करें

[1995] 5 पूरक। एससीआर 199

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[1996] 1 एससीआर 183

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

1656 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 15.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक गड़बड़ में अहमदाबाद में गुजरात का। 2021 का आवेदन संख्या 4928।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1657 , 1658-1659 , 1660 2022 तक।

सुश्री नित्या रामकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा

सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, आर. विष्णु कुमार, अलापति साहित्य कृष्ण, भार्गव मानसत्ता, राघव तन्खा, अनुराग राधोर, निखिल गोयल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., रजत नायर, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

छुट्टी दे दी गई।

वास्तविक पहलू

2. अपीलार्थी एफ. आई. आर. No.112020082021862020 में अभियुक्त हैं।

गुजरात में जामनगर सिटी 'ए' डिवीजन पुलिस स्टेशन में पंजीकृत गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 (संक्षेप में) की धारा 3 (1), 3 (2), 3 (3), 3 (4), 3 (5) और 4 के तहत अपराध।

' 2015 अधिनियम ')। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 (संक्षेप में 'दंड प्रक्रिया संहिता') को 2015 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों से जुड़े मामलों के संबंध में संशोधित किया गया है। 2015 अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के आधार पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के मौजूदा परंतुक के अतिरिक्त एक परंतुक जोड़ा गया है जो 2015 अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय को जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों की अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाने की अनुमति देता है। विशेष अदालत को जांच की प्रगति को निर्धारित करने वाले लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर 180 दिनों तक की अवधि बढ़ाने का अधिकार है।

अदतिया वी. राज्य की

स्थिति

गुजरात [अभय एस. ओका, जे.]

और अभियुक्त को 90 दिनों की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखने के विशिष्ट कारण।

3. उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी

15 अक्टूबर 2020। अभियुक्तों को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्टें

लोक अभियोजक द्वारा जांच पूरी करने के लिए 180 दिनों तक का समय बढ़ाने की मांग की गई थी। तीन मामलों में, रिपोर्ट 8 जनवरी 2021 को प्रस्तुत की गई थी, और एक मामले में, इसे 21 जनवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया था। जिस दिन आवेदन दायर किए गए थे, उसी दिन विशेष अदालत ने समय 180 दिनों तक बढ़ाने की प्रार्थना की अनुमति दी थी। विशेष न्यायालय के उक्त आदेशों से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अलग-अलग आवेदनों को प्राथमिकता दी गई। 15 सितंबर 2021 के विवादित सामान्य निर्णय द्वारा, गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपीलार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया। गिरफ्तारी की संबंधित तिथियाँ और आवेदन करने की तिथियाँ जैसे विवरण नीचे दिए गए हैं:

एस. विशेष तिथि का नाम

तारीख की

तारीख की

में से

फाइलिंग

नं. अभियुक्त

फाइलिंग

गिरफ्तारी

आवेदन

आवेदन

डिफ़ॉल्ट

के लिए धारा के तहत

20 (2) (ख) जमानत का

गुजकटॉक

अपराधी

08.01.2021

04.02

.2021

1 नीलेशभाई

16.10.2020

मानसुखभाई

विविध।

अनुमति दी गई

टोलिया

आवेदन

No.4901 का

द.

एक ही

2021 (एसएलपी

दिन।

No.7758 /

2021)

21.01.2021

02.02.2021

अपराधी

01.11.2020

2 वसंतभाई

विविध।

@वसंतराई

आवेदन

अनुमति दी गई

उसी दिन

लीलाधरभाई

No.4902 का

मानसता

2021 (एसएलपी

(सीआरएल.)

No.7609 /

2021)

आब 3 यशपालसिंह

अपराधी

28 /

08.01.2021

03.02.2021

महेन्द्रसिंह

विविध।

29.10.2020

जडेजा और

आवेदन

अनुमति दी गई

जशपालसिंह

उसी दिन

No.4904 का

महेन्द्रसिंह

2021

जडेजा

नं. 7678-79 /

2021)

4 जिगर @जिमी क्रिमिनल 16.10.2020

08.01.2021

03.02.2021

प्रवीणचंद्र

विविध।

अनुमति दी गई

अदतिया

आवेदन

उसी दिन

2021 (एसएलपी

(सीआरएल.)

No.7696 /

2021)

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. अपीलों के समर्थन में आग्रह किया गया मुख्य आधार यह है कि जब विशेष न्यायालय ने विद्वानों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आदेश पारित किए

लोक अभियोजक जिस समय तक जांच पूरी करने का समय 180 दिनों तक बढ़ा दिया गया था, किसी भी आरोपी की उपस्थिति या तो शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राप्त नहीं की गई थी और उन्हें लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में भी सूचित नहीं किया गया था।

अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ

5. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री नित्या रामकृष्णन ने विस्तृत दलीलें दी हैं। रिलायंस रहा है

हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर रखा गया। महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1 और संजय दत्त बनाम। सी. बी. आई., बॉम्बे (II) 2 के माध्यम से बताएँ। उनका निवेदन है कि जब विशेष न्यायालय ने 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) में जोड़े गए प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग किया, तो अपीलार्थियों की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी प्राप्त नहीं की गई थी। मान लीजिए, 180 दिनों तक समय बढ़ाने की मांग करने वाले लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने से पहले, विशेष न्यायालय ने लोक अभियोजक द्वारा दायर की जा रही ऐसी रिपोर्टों के बारे में अपीलार्थियों को सूचित नहीं किया था। उसका निवेदन यह है कि संजय दत्त 2 के मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि अभियुक्त को विशेष न्यायालय के समक्ष उस तारीख को पेश करना अनिवार्य है जिस दिन ऐसी रिपोर्ट पर विचार किया जाता है और अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करके, उसे लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी रिपोर्ट के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के जनादेश का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ताओं ने डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए आवेदन दायर किए क्योंकि वे लोक अभियोजक द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने और जांच की अवधि बढ़ाने के विशेष अदालत के आदेशों से अवगत नहीं थे। विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए समय के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, उप-धारा के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए अपीलार्थियों का मामला

(2) विशेष न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 पर विचार नहीं किया गया। 9 अप्रैल 2021 को पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। उनका निवेदन है कि जांच पूरी करने के लिए विस्तार देने का आदेश पूरी तरह से है यह गैरकानूनी है क्योंकि इसे संजय दत्त 2 के मामले में निर्धारित जनादेश का पालन किए बिना पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि विशेष न्यायालय द्वारा पारित विस्तार देने वाले आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

(1994) 4 एस. सी. सी. 602

2 (1994) 5 एस. सी. सी. 410 जिगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम। गुजरात राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

चूँकि चूक जमानत के लिए आवेदन अपीलार्थियों द्वारा 90 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद किए गए थे, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने से पहले, अपीलार्थी चूक जमानत के हकदार हैं।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हितेंद्र विष्णु ठाकुर 1 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संशोधित किया गया था संजय दत्त 2 के मामले में एक बहुत ही सीमित पहलू पर संविधान पीठ।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि हितेंद्र विष्णु ठाकुर 1 के मामले में समय बढ़ाने की मांग करने वाली रिपोर्ट पर विचार करते समय आरोपी की उपस्थिति प्राप्त करने के संबंध में निर्धारित कानून की आवश्यकता और आरोपी को इस तरह की रिपोर्ट दाखिल करने के नोटिस में रखने की आवश्यकता को संजय दत्त 2 के मामले में बाधित नहीं किया गया है। इसके विपरीत, संजय दत्त 2 के मामले में संविधान पीठ का निर्णय लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते समय अभियुक्त को अदालत के समक्ष पेश करने की अनिवार्य आवश्यकता को दोहराता है। हितेन्द्र विष्णु ठाकुर 1 के निर्णय में संविधान पीठ द्वारा किया गया एकमात्र संशोधन यह अभिनिर्धारित करते हुए है कि अभियुक्त को नोटिस देने का तरीका उसे विशेष न्यायालय के समक्ष पेश करके ऐसी रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में सूचित करना है और लिखित नोटिस की आवश्यकता नहीं है। उनका निवेदन है कि चूंकि संजय दत्त 2 के मामले में इस अदालत ने 180 दिनों तक का समय बढ़ाने की मांग करने वाली रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में आरोपी को सूचित करने की आवश्यकता निर्धारित की है, इसलिए यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त करने पर आरोपी लोक अभियोजक द्वारा अनुदान के लिए की गई प्रार्थना पर आपत्ति करने का हकदार है।

समय का विस्तार। हालाँकि, विशेष न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति करे अभियुक्त। उनका निवेदन है कि 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा जोड़ा गया परंतुक इसके द्वारा जोड़े गए परंतुक के साथ समान है।

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में 'टाडा अधिनियम') की धारा 20 की उप-धारा (4) से लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) तक। इसलिए, हितेंद्र विष्णु ठाकुर 1 और संजय दत्त 2 के मामले में इस अदालत के फैसले मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होंगे। उन्होंने बताया कि संजय दत्त 2 के मामले में इस अदालत के फैसले का कई मामलों में लगातार पालन किया गया।

उपरोक्त दोनों निर्णयों के तहत समान प्रावधानों से निपटने के दौरान आतंकवाद निवारण की धारा 49 की उप-धारा (2) का खंड (बी)

3 3 (2005) 7 एस. सी. सी 29 [2022] 13 एस. सी. आर.

अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'पोटा')। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में इसी तरह के प्रावधान से निपटने के दौरान अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम'), संजय कुमार केडिया उपनाम संजय केडिया बनाम के मामले में। खुफिया अधिकारी, मादक पदार्थ नियंत्रण

ब्यूरो और एक अन्य, इस न्यायालय ने हितेंद्र विष्णु ठाकुर 1 के मामले में निर्णय का पालन किया। विद्वान वरिष्ठ वकील ने एस. कासी बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। पुलिस निरीक्षक समयनल्लूर पुलिस स्टेशन के माध्यम से राज्य मदुरै जिला 5. उन्होंने बिक्रमजीत सिंह बनाम के मामले में एक अन्य निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। पंजाब राज्य '। उसने आग्रह किया कि

उपरोक्त दोनों निर्णयों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है। अधिकार लेकिन एक अभियुक्त को गारंटीकृत मौलिक अधिकार। उन्होंने एम. रवींद्रन बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया।

और मनमाने ढंग से हिरासत में लेना। इसलिए, धारा 167 की उप-धारा (2) के प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो इस उद्देश्य को पूरा करे। उन्होंने मुज़म्मिल पाशा और अन्य के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा किया। आदि. वी. राष्ट्रीय जाँच एजेंसी आदि। 8 . 7. उनका निवेदन है कि संजय दत्त 2 के मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हुए, विशेष अदालत द्वारा जांच करने का समय बढ़ाया गया था। इसलिए, उक्त आदेश पूरी तरह से अवैध है क्योंकि यह अपीलार्थियों के डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन करता है जिसे अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार माना जाता है।

21 भारत का संविधान।

उत्तरदाता की प्रस्तुतियाँ

8. भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) श्री अमन लेखी ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त लोक अभियोजक द्वारा विस्तार की मांग के लिए प्रस्तुत रिपोर्टों के लिखित नोटिस का हकदार नहीं है।

4 (2009) 17 एस. सी. सी. 631

5 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 529

7 (2021) 2 एससीसी 485

समय की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर विशेष अदालत द्वारा उस स्तर पर विचार किया जाता है जब जांच चल रही होती है। उसका निवेदन है कि समय बढ़ाने के मामले में आरोपी का कोई कहना नहीं है क्योंकि उसे जांच के चरण में सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने नरेंदर जी के मामले में इस अदालत के एक फैसले पर भरोसा किया।

गोयल बनाम. महाराष्ट्र राज्य और Anr.º।

9. विद्वान ए. एस. जी. ने आगे कहा कि समय बढ़ाने के लिए लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के समय जांच बहुत सीमित है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। सुरेंद्र पुंडलिक गाडलिंग और Ors.[10] 10।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि लोक अभियोजक द्वारा जांच की प्रगति और 90 दिनों की अवधि से आगे आरोपी की नजरबंदी जारी रखने के विशिष्ट कारणों का संकेत देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो विशेष अदालत को विस्तार देने का अधिकार है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि लोक अभियोजक द्वारा मन का आवेदन किया गया था और आवश्यकतानुसार सभी विवरण प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने आग्रह किया कि संजय कुमार केडिया 1 के मामले में इस अदालत का निर्णय अनुचित है क्योंकि संजय दत्त 2 के मामले में बाध्यकारी मिसाल पर इस अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया था।

10. उनका निवेदन है कि अभियुक्त को अदालत के समक्ष पेश करने का दायित्व केवल तभी अनिवार्य है जब उसे पुलिस हिरासत में हिरासत में रखने की मांग की जाती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस दिन विशेष न्यायालय ने समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया, उस दिन अभियुक्त को पेश न करना ही समय बढ़ाने के आदेश को दूषित नहीं करेगा। उनका निवेदन है कि सीआरपीसी की धारा 460 को देखते हुए, आदेश दूषित नहीं होगा। उनका निवेदन है कि किसी भी मामले में कोई पूर्वाग्रह नहीं है अपीलार्थियों को उनके पेश न किए जाने के कारण और न्याय की कोई विफलता नहीं हुई है। विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि कोविड-19 स्थितियों के कारण अभियुक्त का भौतिक उत्पादन संभव नहीं था और अपर्याप्त बैंडविड्थ ने अभियुक्त व्यक्तियों के आभासी उत्पादन को रोक दिया। उन्होंने

प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण ठोस और सही हैं।

अपीलार्थियों के प्रतिनिधि

9 (2009) 6 एससीसी 65 10 (2019) 5 एससीसी 178 [2022] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हितेंद्र विष्णु ठाकुर 1 के मामले में, संजय दत्त 2 के मामले में संविधान पीठ ने कहा है कि आरोपी को लिखित नोटिस देना आवश्यक नहीं है और यह पर्याप्त होगा यदि आरोपी अदालत में मौजूद था और उसे सूचित किया गया था कि जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि जनवरी 2021 में जब लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विशेष अदालत द्वारा विचार किया गया था, तो या तो उस समय प्रचलित मानक संचालन प्रक्रिया ने आरोपी के भौतिक उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया था या कोई उचित संपर्क नहीं था जो उत्पादन को वस्तुतः भी रोकता था। उनका निवेदन है कि उक्त याचिका का कोई आधार नहीं है।

अंतिम प्रस्तुतियाँ

12. 9 फरवरी 2022 को प्रस्तुतियाँ पूरी की गईं। इसके बाद, हमने देखा कि प्रस्तुतियों के दौरान 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) को हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया था। इसलिए, 10 मार्च 2022 को, अपीलों को आगे की सुनवाई के लिए बोर्ड में फिर से सूचीबद्ध किया गया था, और पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सीमित मुद्दे पर आगे की दलीलें देने के लिए समय दिया गया था।

2015 अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता। इसके बाद, परिवर्तन के कारण अपीलों को तुरंत सूचीबद्ध नहीं किया जा सका

लाल शाह और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य "। उन्होंने बताया कि यह न्यायालय महाराष्ट्र राज्य बनाम के मामले में है। भरत शांति लाल शाह और Ors.[1]2 ने उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि की है। यह न्यायालय, अभिलिखित कारणों के लिए, 11 2003 सभी एम. आर. (सी. आर. एल.) 1061 12 (2008) 13 एस. सी. सी. 5 जिगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम।

अभिनिर्धारित किया कि एमसीओसीए की धारा 21 की उप-धारा (5) में "या किसी अन्य अधिनियम के तहत" अभिव्यक्ति मनमाना और भेदभावपूर्ण थी।

भारत के सॉलिटर जनरल का जवाब

14. श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा को देखते हुए 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5), भारत शांति लाल शाह 1 2, अपने आप में अपीलार्थियों को डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने के रास्ते में बाधा नहीं होगी। अदालत की अनुमति से उन्होंने अतिरिक्त दलीलें दीं। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 461 पर भरोसा किया जिसमें एक

कार्यवाही को दूषित करने वाली अनियमितताओं की विस्तृत सूची। उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले में कथित अनियमितता उक्त प्रावधान में निहित अनियमितताओं की सूची का हिस्सा नहीं है। उन्होंने उप-अनुभाग पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465। उनका निवेदन है कि जैसा कि इस अदालत ने संजय दत्त 2 के मामले में कहा है, आरोपी लिखित शिकायत का हकदार नहीं है।

लोक अभियोजक द्वारा जांच करने के लिए प्रदान की गई अवधि के विस्तार के लिए किए गए आवेदन की सूचना और विशेष न्यायालय द्वारा आवेदन की सुनवाई होने पर केवल उसकी उपस्थिति प्राप्त की जानी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त की प्रति प्राप्त करने का हकदार नहीं है

धारा की उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत किया गया आवेदन/रिपोर्ट

20 2015 अधिनियम और इसलिए, वह लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर कोई प्रस्तुति देने का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत के समक्ष पेश करने में जांच एजेंसी की विफलता के परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है

जब विस्तार के लिए आवेदनों की सुनवाई की गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस तारीख को विस्तार आवेदनों की सुनवाई की गई थी, उस तारीख को अपीलार्थियों को पेश करने में विफलता कार्यवाही में केवल एक अनियमितता है जिसका संज्ञान, परीक्षण आदि जैसे आगे के चरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पहलू पर, उन्होंने फर्टिको मार्केटिंग के मामले में इस अदालत के एक फैसले पर भरोसा किया

& इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। वी. केंद्रीय जांच ब्यूरो और Anr.[13]। उन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आदि के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी भरोसा किया। गौरव वार्ष्णेय और अन्र। आदि। 1 4 14. उन्होंने आग्रह किया कि विशेष अदालत द्वारा समय बढ़ाए जाने के बाद अपीलकर्ताओं द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ उठाने के लिए आवेदन दायर किए गए थे। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी पूर्वनिर्धारित जमानत के हकदार नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि

13 (2021) 2 एस. सी. सी. 525 14 एस. सी. सी. 430 [2022] 13 एस. सी. आर.

अपीलार्थियों के विरुद्ध आक्षेप बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं। यहां तक कि

टी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

प्रस्तुतियों का समावेश

15. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। पूरा मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की 2015 के अधिनियम-धारा (2) द्वारा जोड़े गए परंतुक की व्याख्या के इर्द-गिर्द है। उस उद्देश्य के लिए, हमें 2015 अधिनियम की धारा 20 का पालन करना होगा। खंड इस प्रकार हैः

" 20. संहिता के कुछ प्रावधानों का संशोधित अनुप्रयोगः

संहिता की धारा 2 के खंड (ग) के अर्थ के भीतर एक 'संज्ञेय अपराध' और उस में परिभाषित 'संज्ञेय मामला' होगा। खंड और तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(2) संहिता की धारा 167 इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े मामले के संबंध में संशोधनों के अधीन लागू होगी।

कि उप-धारा (2) में -

(क) "पंद्रह दिन" और "साठ दिन" के संदर्भ, जहाँ भी वे होते हैं, को "तीस दिन" के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

और "नब्बे दिन", क्रमशः; (ख) मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः -

" बशर्ते कि यदि पूरा करना संभव न हो

नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर जांच,

विशेष न्यायालय उक्त अवधि को एक सौ तक बढ़ाएगा। और लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर अस्सी दिन

जाँच की प्रगति का संकेत और विशिष्ट

नब्बे दिनों का "। . (3) संहिता की धारा 438 में कुछ भी अपराध करने के आरोपी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगा।

इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध।

(4) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का कोई भी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर नहीं रखा जाएगा, जब तक कि-ए. आर. @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम.

(क) लोक अभियोजक को एक अवसर दिया गया है -

इस तरह के रिलीज के आवेदन का विरोध करें; और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है,

विशेष न्यायालय संतुष्ट है कि इसके लिए उचित आधार हैं -

यह मानते हुए कि अभियुक्त इस तरह के अपराध करने का दोषी नहीं है

और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(5) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अभियुक्त को जमानत नहीं दी जाएगी यदि विशेष न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि वह इस अधिनियम के तहत किसी अपराध में या अपराध की तारीख को किसी अन्य अधिनियम के तहत जमानत पर था।

सवाल करते हैं।

(6) उप-धारा (4) और (5) में निर्दिष्ट जमानत देने पर प्रतिबंध संहिता या जमानत देने पर तत्काल लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रतिबंध के अतिरिक्त है।

(7) पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की हिरासत की मांग कर रहा है

न्यायिक अभिरक्षा से अभियोग-पूर्व या विचारण-पूर्व पूछताछ एक लिखित बयान दायर करेगी जिसमें मांग करने के कारणों को समझाया जाएगा। ऐसी अभिरक्षा और पुलिस अभिरक्षा की मांग में देरी, यदि कोई हो, के लिए भी।

[जोर दिया गया]

(1) जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 57 द्वारा निर्धारित चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती है, और यह विश्वास करने के लिए आधार हैं कि आरोप या जानकारी ठीक है। स्थापित किए जाने पर, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि वह उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, तो मामले से संबंधित इसके बाद निर्धारित डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रति तुरंत निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा और साथ ही आरोपी को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) जिस मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत एक आरोपी व्यक्ति को भेजा जाता है, वह समय-समय पर, चाहे उसके पास मामले की सुनवाई करने की अधिकारिता हो या न हो, आरोपी को ऐसी हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो ऐसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए; और यदि उसके पास मामले की सुनवाई करने या मुकदमे के लिए इसे करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और आगे हिरासत पर विचार कर सकता है।

बशर्ते कि (क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत कर सकता है।

व्यक्ति, पुलिस की अभिरक्षा में पंद्रह दिनों की अवधि से परे, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस की अभिरक्षा को अधिकृत नहीं करेगा।

अभियुक्त व्यक्ति जो कुल अवधि से अधिक के लिए इस अनुच्छेद के तहत हिरासत में है

(i) नब्बे दिन, जहां जांच मौत, आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है;

((ii) साठ दिन, जहां जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित है, और नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर, आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और प्रस्तुत करता है, और इस उप-धारा के तहत जमानत पर रिहा किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस उद्देश्य के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत इस तरह से रिहा माना जाएगा।

अध्याय;

(ख) कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत पुलिस की हिरासत में आरोपी को हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि -

अभियुक्त को पहली बार व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश किया जाता है और बाद में हर बार जब तक अभियुक्त जेल में नहीं रहता है।

पुलिस की अभिरक्षा, लेकिन मजिस्ट्रेट को पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में हिरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है

अभियुक्त या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से;

(ग) द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त नहीं है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को अधिकृत नहीं करेगा।

जिगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र

अदतिया वी. राज्य की

स्थिति

गुजरात [अभय एस. ओका, जे.]

स्पष्टीकरण I-संदेह से बचने के लिए, यह एतद्वारा है

घोषित किया कि, में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बावजूद

पैराग्राफ (ए), अभियुक्त को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं देता है।

स्पष्टीकरण II। - यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई अभियुक्त

व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया गया था

खंड (ख) अभियुक्त व्यक्ति को पेश करना सिद्ध किया जा सकता है। निरोध को अधिकृत करने वाले आदेश पर या आदेश द्वारा उसके हस्ताक्षर द्वारा

अभियुक्त व्यक्ति के पेश किए जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित

इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से, जैसा भी मामला हो सकता है बनो।

बशर्ते कि अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला के मामले में

आयु के वर्ष, निरोध अभिरक्षा में रहने के लिए अधिकृत होगा

अभिरक्षा गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थान। ”

[जोर दिया गया]

16. इस प्रकार, के तहत दंडनीय अपराधों से जुड़े मामले में

2015 अधिनियम, विशेष न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत है। द्वारा जोड़ा गया परंतुक

2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) से लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) विशेष न्यायालय को लोक अभियोजक की एक रिपोर्ट के आधार पर उक्त अवधि को कुल 180 दिनों तक बढ़ाने में सक्षम बनाती है, जिसमें जांच की प्रगति को निर्धारित किया जाता है और 90 दिनों की अवधि से आगे अभियुक्त को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों को शामिल किया जाता है।

17. इस प्रकार, जब तक कि विशेष न्यायालय के तहत शक्ति का प्रयोग

2015 के अधिनियम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) में जोड़ा गया परंतुक, 90 दिनों की अवधि समाप्त होने पर, अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा। जब विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) में जोड़े गए परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग करता है और समय को 180 दिनों तक बढ़ाता है, तो आरोपी केवल तभी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा जब विस्तारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है।

18. जैसा कि धारा 20 की उप-धारा (2) से देखा जा सकता है।

2015 अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के प्रावधान और विशेष रूप से उसकी उप-धारा (2) में अभियुक्त की चूक जमानत की पात्रता इस संशोधन के साथ 2015 के अधिनियम पर लागू होगी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) में प्रदान किए गए "पंद्रह दिनों" और "साठ दिनों" की अवधि के संदर्भ को [2022] 13 एस. सी. आर. के संदर्भ के रूप में समझा जाना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" क्रमशः तीस दिन और नब्बे दिन। 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) का प्रावधान विशेष न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) में प्रदान की गई अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

जनरल प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट डीफाल्ट बिल

19. इससे पहले कि हम शक्ति के प्रयोग में पारित विस्तार के आदेश की वैधता से संबंधित मुख्य विवाद पर जाएं

2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के प्रावधान के अनुसार, चूक जमानत से संबंधित तय किए गए कानून को फिर से लागू करना आवश्यक है। इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठों के तीन निर्णयों ने इस पहलू पर कानून निर्धारित किया है। 19. (क) पहला निर्णय उदय मोहनलाल आचार्य बनाम के मामले में है। महाराष्ट्र राज्य 1 5. इसके अनुच्छेद 13 में, बहुमत का विचार है

इसका सारांश इस प्रकार दिया गया हैः

... .

... .

उपरोक्त परिसर में, हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार दर्ज करेंगे -

निम्नलिखित हैः

1. धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत, एक मजिस्ट्रेट जिसके सामने एक आरोपी को पेश किया जाता है जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही होती है। अपराध अभियुक्त को ऐसी हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है जिसे मजिस्ट्रेट 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए उचित समझता है।

सब कुछ।

2. धारा 167 की उपरोक्त उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत, मजिस्ट्रेट कुल अवधि के लिए पुलिस की हिरासत में रहने के अलावा आरोपी को हिरासत में रखने को अधिकृत कर सकता है। 90 दिनों से अधिक जहां जाँच अपराध से संबंधित है

मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास, और 60 दिन जहां जाँच की जाती है।

यह किसी अन्य अपराध से संबंधित है।

3. 90 दिन या 60 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर

जिस दिन, जैसा भी मामला हो, एक अक्षम्य अधिकार अर्जित होता है

अभियुक्त को खाते में जमानत पर रिहा करने के पक्ष में
के पूरा होने में जांच एजेंसी द्वारा चूक

निर्धारित अवधि के भीतर जांच और

15 (2001) 5 एस. सी. सी. 453 ए. आर. @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम। गुजरात राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार है, यदि वह मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार जमानत देने के लिए तैयार है।

4. जब किसी अभियुक्त द्वारा अपने अक्षम्य अधिकार को लागू करने के लिए जमानत के लिए आवेदन दायर किया जाता है, जो कथित रूप से निर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच पूरी करने में जांच एजेंसी की ओर से चूक के कारण उसके पक्ष में अर्जित किया गया था, तो मजिस्ट्रेट/अदालत को यह संतुष्ट होने पर कि वास्तव में अभियुक्त 90 दिनों या 60 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में है, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है और कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, इसका तुरंत निपटारा करना चाहिए।

जाँच एजेंसी द्वारा। मजिस्ट्रेट/अदालत की ओर से इस तरह की त्वरित कार्रवाई अभियोजन पक्ष को अधिनियम के उद्देश्य और जांच एजेंसी की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी करने में चूक के कारण आरोपी को जमानत पर रिहा करने के विधायी आदेश को विफल करने में सक्षम नहीं बनाएगी।

5. यदि अभियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित जमानत प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो स्पष्टीकरण I और स्पष्टीकरण I के संयुक्त पठन पर धारा 167 की उप-धारा (2) के प्रावधान के अनुसार, पैरा (ए) में निर्दिष्ट अवधि से आगे भी अभियुक्त की निरंतर अभिरक्षा अनधिकृत नहीं होगी, और इसलिए, यदि उस अवधि के दौरान जांच पूरी हो जाती है और आरोप पत्र दायर किया जाता है तो अभियुक्त का तथाकथित अक्षम्य अधिकार समाप्त हो जाएगा।

6. संजय दत्त मामले [(1994) 5 एस. सी. सी. 410 में इस न्यायालय द्वारा उपयोग की गई अभिव्यक्ति "यदि पहले से ही लाभ नहीं उठाया गया है": 1994

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1433] का अर्थ तब समझा जाना चाहिए जब अभियुक्त आवेदन दायर करता है और निर्देश दिए जाने पर जमानत देने के लिए तैयार होता है। दूसरे शब्दों में, उप-धारा (2) के परंतुक के पैरा (ए) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर

धारा 167 यदि अभियुक्त जमानत के लिए आवेदन दायर करता है और निर्देश दिए जाने पर जमानत देने का भी प्रस्ताव करता है, तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने अपने अक्षम्य अधिकार का लाभ उठाया है, भले ही न्यायालय ने उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया है और नियमों और शर्तों का संकेत नहीं दिया है।

जमानत की, और अभियुक्त ने वही प्रस्तुत नहीं किया है।

"" "" "" "

हताश या समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए आवश्यक रूप से, यदि कोई अभियुक्त आवेदन द्वारा जमानत पर रिहा होने का हकदार है

धारा 167 की उप-धारा (2) के परंतुक के अनुसार, मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन, लेकिन मजिस्ट्रेट

गलती से उसे अस्वीकार कर देते हैं और आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं

और फिर आरोपी उच्च मंच को स्थानांतरित करता है और जबकि

मामला उच्च मंच के समक्ष लंबित है

एक आरोप-पत्र दाखिल किए जाने पर विचार करें, जिसे तथाकथित कहा जाता है

अभियुक्त का अक्षम्य अधिकार कायम नहीं रहेगा।

जिससे बुझा दिया गया, और दूसरी ओर, अभियुक्त

जमानत पर रिहा होना पड़ता है। ऐसा अभियुक्त, जो इस प्रकार हकदार है

अपनी अक्षम्य अधिकार वसीयत के प्रवर्तन में जमानत पर रिहा किया जाना,

धारा 209 और मजिस्ट्रेट के अनुसार दाखिल किया जा रहा पत्रक अभिरक्षा के लिए रिमांड के मामले में उसके साथ व्यवहार करना चाहिए

जमानत से संबंधित संहिता के प्रावधान और इसके अधीन

जमानत रद्द करने के प्रावधान, जो पहले से ही दिए जा चुके हैं

मोहम्मद के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के साथ। इकबाल

वी. महाराष्ट्र राज्य [(1996) 1 एससीसी 722: 1996 एससीसी (सीआरआई) 202] . "

[जोर दिया गया]

19 (ख) दूसरा निर्णय एम. रवींद्रन के मामले में है। द.

उक्त निर्णय में उपयोगों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) उदय मोहनलाल आचार्य के मामले में बहुमत का दृष्टिकोण है

सही;

((ii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के लिए अधिनियमित किया गया था।

रिमांड की अवधि के लिए एक बाहरी समय सीमा प्रदान करना

अपराध की गंभीरता के अनुपात में अभियुक्त

आरोप लगाया। भीतर जांच पूरी करने में विफलता पर परिभाषित बाहरी सीमा, अभियुक्त एक अक्षम्य प्राप्त करता है

डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने का अधिकार;

(iii) धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान की गई समय-सीमा,

सी. आर. पी. सी. यह सुनिश्चित करती है कि जांच अधिकारी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हों।

जाँच के बाद अनुचित देरी के बिना मामले का संज्ञान उप-धारा (2) में दिए गए समय के भीतर पूरा किया जाता है

(iv) विधायिका ने अभियुक्त की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता के साथ जांच को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए धारा 167 की उप-धारा (2) को अधिनियमित किया है, जिसे हमारे संविधान में सर्वोपरि महत्व दिया गया है।

संविधान;

(v) धारा 167 की उप-धारा (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का वादा करने वाली संवैधानिक प्रतिबद्धता से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।

गैरकानूनी और मनमाना हिरासत;

(vi) एस. कासी 3 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था जिसमें कहा गया है कि चूक जमानत का अक्षम्य अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और उक्त अधिकार को निलंबित भी नहीं किया जा सकता है।

महामारी की स्थिति के दौरान; और

(vii) यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दंडात्मक क़ानून के निर्माण में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, न्यायालय को उस व्याख्या का समर्थन करना चाहिए जो अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में झुकती है। यह सिद्धांत अभियुक्त की स्वतंत्रता में कटौती का प्रावधान करने वाली प्रक्रिया के मामले में भी लागू होता है।

19. (ग) तीसरा निर्णय राकेश कुमार पॉल बनाम के मामले में है। असम राज्य "। इस निर्णय में कहा गया है कि यह विद्वत मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत अक्षम्य अधिकार की उपलब्धता के बारे में सूचित करे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह सुनिश्चित करेगा कि अभियोजन की विलंबकारी रणनीतियों को विफल किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दायित्वों को बरकरार रखा जाए। 20. इन अपीलों में शामिल मुद्दे को कानूनी स्थिति के संदर्भ में तय करना होगा कि डिफ़ॉल्ट जमानत का अक्षम्य अधिकार

धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत, सीआरपीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

उप का प्रभाव-धारा 20 की धारा (5)

2015 का अधिनियम

21. धारा 20 की उप-धारा (5) इस प्रकार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 20. संहिता के कुछ प्रावधानों के संशोधित अनुप्रयोग।

(5) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अभियुक्त को जमानत नहीं दी जाएगी यदि विशेष न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि वह इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य के तहत किसी अपराध में जमानत पर था

विचाराधीन अपराध की तारीख पर कार्रवाई करें।

एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 21 की उप-धारा (5) में समान प्रावधान थे। भारत शांति लाल शाह 1 2 के मामले में, इस न्यायालय ने

पैराग्राफ 62 से 65 में दर्ज कारण, के दृष्टिकोण से सहमत हैं

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि मकोका की धारा 21 की उप-धारा (5) में दिखाई देने वाली "या किसी अन्य अधिनियम के तहत" अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है और इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। इसलिए, 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) में उपयोग की गई वही अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। में

मामले के तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ताओं में से कोई भी 2015 के अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए जमानत पर नहीं था और इसलिए, चूक जमानत के लिए अनुरोध पर विचार करने के लिए इन मामलों के तथ्यों में धारा 20 की उप-धारा (5) द्वारा कोई बाधा पैदा नहीं की गई है।

विफलता का प्रभाव

अपीलों का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदारियां

विशेष न्यायालय के समय से पहले

विस्तार आवेदन का समावेश

लोक अभियोजक द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के अनुदान के लिए प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर विचार करने के समय अभियुक्त का। इसके अलावा, हमें विफलता के प्रभाव पर विचार करना होगा लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के बारे में अभियुक्त को नोटिस देना।

23. टाडा की धारा 20 की उप-धारा (4) के खंड (बीबी) के तहत, एक समान सामग्री परंतुक है जो नामित न्यायालय को अधिकार देता है -

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के खंड (ए) में प्रदान की गई अवधि का विस्तार करें। खंड (बी. बी.) इस प्रकार हैः

“ (ख) उप-धारा (2) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः

एआर @जिम्मी प्रवीणचंद्र

अदतिया वी. राज्य की स्थिति

गुजरात [अभय एस. ओका, जे.]

' बशर्ते कि, यदि पूरा करना संभव नहीं है

एक सौ अस्सी दिनों की उक्त अवधि के भीतर, नामित न्यायालय, लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर, जो जांच की प्रगति और एक सौ अस्सी दिनों की उक्त अवधि से आगे अभियुक्त को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का संकेत देती है, उक्त अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा देगा; और

उक्त परंतुक हितेन्द्र विष्णु ठाकुर 1 के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। पैराग्राफ 23 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

" 23. हम इस स्तर पर, धारा 20 की उप-धारा (4) के खंड (बी. बी.) के एक सादे पठन पर भी, इंगित कर सकते हैं कि विधानमंडल ने इसे पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का प्रावधान किया है।

लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर जाँच। विधायिका ने जानबूझकर अदालत से समय बढ़ाने की मांग के लिए आवेदन करने का काम किसी जांच अधिकारी पर नहीं छोड़ा।

यह प्रावधान जांच को तेजी से पूरा करने के विधायी इरादे के अनुरूप है और किसी आरोपी को इस अवधि के दौरान निरंतर हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देता है।

की सनक पर अनावश्यक लंबी जांच

पुलिस। विधायिका उम्मीद करती है कि जांच को अत्यंत शीघ्रता के साथ पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन जहां जांच को पूरा करने के लिए कुछ और समय की मांग करना आवश्यक हो जाता है, तो जांच एजेंसी को पहले लोक अभियोजक की जांच के लिए खुद को प्रस्तुत करना चाहिए और उसे जांच की प्रगति के बारे में संतुष्ट करना चाहिए और किसी आरोपी की आगे की हिरासत की मांग के लिए कारण प्रस्तुत करना चाहिए। लोक अभियोजक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं है। वह एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है। लोक अभियोजक से उम्मीद है कि जांच एजेंसी को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए समय बढ़ाने के लिए अदालत में रिपोर्ट जमा करने से पहले स्वतंत्र रूप से जांच एजेंसी के अनुरोध पर अपना दिमाग लगाएं।

जाँच। वह केवल एक डाकघर या अग्रेषण एजेंसी नहीं है। एक लोक अभियोजक कारणों से सहमत हो भी सकता है और नहीं भी।

जाँच अधिकारी द्वारा समय बढ़ाने की मांग के लिए दिया गया और यह पाया जा सकता है कि जाँच उचित [2022] 13 एस. सी. आर. में आगे नहीं बढ़ी थी।

या कि जाँच को पूरा करने में अनावश्यक, जानबूझकर या टालने योग्य देरी हुई है। उस स्थिति में, वह विस्तार की मांग करने के लिए खंड (बीबी) के तहत अदालत को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता है। समय की। इस प्रकार, खंड (बी. बी.) के तहत समय बढ़ाने की मांग के लिए, लोक अभियोजक अपने दिमाग के एक स्वतंत्र आवेदन के बाद

जाँच एजेंसी के अनुरोध से निर्दिष्ट न्यायालय को एक रिपोर्ट देने की आवश्यकता होती है जिसमें प्रगति का संकेत दिया जाता है

जाँच। लोक अभियोजक अपने अनुरोध के साथ जांच अधिकारी के अनुरोध को संलग्न कर सकता है या आवेदन और रिपोर्ट, लेकिन उसकी रिपोर्ट, जैसा कि खंड (बी. बी.) के तहत परिकल्पित है, उसके सामने यह खुलासा करना चाहिए कि उसने अपना दिमाग लगाया है और मामले की प्रगति से संतुष्ट था।

जांच और आवश्यक जांच को पूरा करने के लिए और समय देने पर विचार किया। का उपयोग

धारा 20 (4) द्वारा संशोधित धारा 167 की उप-धारा (2) में खंड (बी. बी.) में होने वाली "लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर जांच की प्रगति और उक्त अवधि से परे अभियुक्त को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का संकेत" की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है और किसी अभियुक्त को अनुचित रूप से हिरासत में नहीं रखने और केवल लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर विस्तार देने के विधायी इरादे का संकेत देती है। इसलिए लोक अभियोजक की रिपोर्ट केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है।

क्योंकि इसकी स्वीकृति का परिणाम अभियुक्त की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और इसलिए उसे इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। खंड (बी. बी.) में निहित आवश्यकताएँ। समय बढ़ाने के लिए एक जांच अधिकारी का अनुरोध इसका विकल्प नहीं है।

लोक अभियोजक की रिपोर्ट। जहाँ या तो खंड (बी. बी.) द्वारा परिकल्पित कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है या लोक अभियोजक द्वारा दायर रिपोर्ट नामित न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, क्योंकि -

खंड (बी. बी.) के तहत समय का विस्तार न तो औपचारिकता है और न ही स्वतः, आवश्यक परिणाम यह होगा कि एक अभियुक्त

जमानत मांगने का हकदार होगा और अदालत उसे जमानत पर रिहा कर देगी यदि वह नामित अदालत द्वारा आवश्यक जमानत प्रस्तुत करता है। यह केवल उस प्रपत्र का प्रश्न नहीं है जिसमें खंड (बी. बी.) के तहत विस्तार का अनुरोध किया जाता है, बल्कि एक सार है। ए. आर. @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम के बाद लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की सामग्री।

उसके दिमाग का उचित उपयोग, किसी दिए गए मामले में विस्तार दिया जाना चाहिए या नहीं, यह स्वतंत्र रूप से तय करने में नामित न्यायालय की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संभाल कर रखना।

जांच पड़ताल की। जहां नामित न्यायालय इस तरह का विस्तार देने से इनकार करता है, तो अभियोजन की 'चूक' के कारण जमानत पर रिहा होने का अधिकार अक्षम्य हो जाता है और इन कारणों के अलावा अन्य कारणों से पराजित नहीं किया जा सकता है।

धारा 20 की उप-धारा (4) द्वारा विचार किया गया है जैसा कि इस निर्णय के पूर्व भाग में चर्चा की गई है। हम श्री माधव रेड्डी या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुलसी से सहमत होने में असमर्थ हैं कि भले ही लोक अभियोजक जांच अधिकारी के अनुरोध को अदालत में 'प्रस्तुत' करता है या जांच अधिकारी के अनुरोध को अदालत में 'अग्रेषित' करता है, इसे लोक अभियोजक की रिपोर्ट माना जाना चाहिए। जब हम एक नागरिक की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह के निर्माण की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वे उत्साहपूर्वक उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। खंड (बी. बी.) में किसी भी अभिव्यक्ति को जोड़े या प्रतिस्थापित किए बिना इसकी सरल भाषा में पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए। हम पहले ही जनता की रिपोर्ट के महत्व पर चर्चा कर चुके हैं।

नामित न्यायालय जो एक वैध रिपोर्ट की आवश्यकताओं को नजरअंदाज और अनदेखा करता है, के प्रदर्शन में विफल रहता है इसके आवश्यक कर्तव्यों में से एक और खंड (बीबी) के तहत इसके आदेश को असुरक्षित बनाता है। चाहे लोक अभियोजक अपनी रिपोर्ट को एक रिपोर्ट के रूप में लेबल करता है या विस्तार के लिए एक आवेदन के रूप में, तब तक बहुत अधिक परिणाम नहीं होगा जब तक कि यह इसके सामने

कि उसने अपना दिमाग लगाया है और प्रगति से संतुष्ट है जांच और अनुदान के कारणों की वास्तविकता

अभियुक्त को आगे की हिरासत में रखने के लिए विस्तार, जैसा कि परिकल्पना की गई है

खंड (बी. बी.) (ऊपर)। यहां तक कि केवल आवेदन का पुनरुत्पादन भी

या लोक अभियोजक द्वारा जाँच अधिकारी का अनुरोध

उसकी रिपोर्ट, उसके दिमाग के अनुप्रयोग के प्रदर्शन के बिना और अपनी संतुष्टि दर्ज करते हुए, अपनी रिपोर्ट को इस रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा

खंड (बी. बी.) द्वारा परिकल्पित और यह उचित नहीं होगा।

समय बढ़ाने के लिए रिपोर्ट करें। उपयुक्तता के अभाव में नामित न्यायालय को रिपोर्ट करने से इनकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का उसका अक्षम्य अधिकार

अभियोजन पक्ष द्वारा चालान दाखिल करने में चूक का लेखा-जोखा

निर्धारित समय यदि कोई अभियुक्त मांग करता है और प्रस्तुत करने के लिए तैयार है

अदालत द्वारा निर्देशित जमानत बांड। इसके अलावा, कोई विस्तार नहीं

जाँच को सक्षम बनाने के अलावा निर्धारित अवधि पूरा किया गया और जैसा कि किसी भी विस्तार से पहले ही कहा जा चुका है

खंड (बी. बी.) के तहत मंजूर, अभियुक्त को रखा जाना चाहिए

नोटिस दिया और अपनी बात रखने की अनुमति दी ताकि वह सक्षम हो सके विस्तार के अनुदान पर आपत्ति "।

[जोर दिया गया]

24. एक ही मुद्दा पहले विचार के लिए आया था

संजय दत्त 2 के मामले में इस अदालत में संविधान पीठ। संविधान पीठ के समक्ष एक विशिष्ट निवेदन किया गया था कि हितेंद्र विष्णु ठाकुर 1 के मामले में निर्णय द्वारा विचार किए गए विस्तार के लिए आवेदन के अभियुक्त को नोटिस एक लिखित नोटिस नहीं है। तर्क यह था कि जब लोक अभियोजक की रिपोर्ट है विशेष न्यायालय द्वारा विचार किए जाने पर, यह पर्याप्त है कि अभियुक्त की उपस्थिति विशेष न्यायालय के समक्ष प्राप्त की जाती है और अभियुक्त को सूचित किया जाता है कि ऐसी रिपोर्ट लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए, संविधान पीठ ने इसका सारांश दिया

निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

" 53. (2) (ए) टाडा अधिनियम की धारा 20 (4) (बीबी) केवल आवश्यक है तदनुसार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (1) और इस प्रकार अभियुक्त को पहले नोटिस देने की आवश्यकता है।

180 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे विस्तार देना। ए. आर. @जिम्मी रामचंद्र के खंड (बी. बी.) के आगे के प्रावधान के अनुसार

गुजरात [अभय एस. ओका, जे.]

टाडा अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4)

इस खंड पीठ के निर्णय में समझा गया हितेंद्र विष्णु ठाकुर में अदालत। इस तरह की आवश्यकता

अवधि विस्तार देने से पहले अभियुक्त को नोटिस

जाँच को पूरा करना लिखित सूचना नहीं है

अभियुक्त उसमें कारण दे रहा है। अभियुक्तों को पेश करना

जाँच को पूरा करने के लिए अवधि का विस्तार है केवल विचार किया जाना ही इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

[जोर दिया गया]

25. देविंदरपाल सिंह बनाम के मामले में। सरकार की

दिल्ली का क्षेत्रीय राजधानी क्षेत्र ", इस न्यायालय ने पैराग्राफ 14 और

इस प्रकारः

" 14. हितेंद्र विष्णु ठाकुर मामले में [(1994) 4 एस. सी. सी. 602: 1994

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1087] यह भी राय दी गई कि कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है। खंड (बी. बी.) के तहत नामित न्यायालय द्वारा जब तक कि अभियुक्त

नोटिस पर रखें और अपनी बात रखने की अनुमति दें ताकि वे सक्षम हो सकें

विस्तार के अनुदान पर आपत्ति।

15. संजय दत्त मामले में संविधान पीठ [(1994) 5

एस. सी. सी. 410 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1433] ने कोई टिप्पणी नहीं की।

रिपोर्ट की आवश्यकता के रूप में विपरीत राय

विस्तार के अनुदान के लिए लोक अभियोजक संबंधित है

या खंड के तहत ऐसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति के प्रभाव पर

(bb) धारा 20 (4) की, लेकिन कहा कि 'नोटिस' हितेंद्र विष्णु ठाकुर मामले में निर्णय पर विचार किया गया

[(1994) 4 एससीसी 602: 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1087] देने से पहले

जांच पूरी करने के लिए विस्तार नहीं किया जाना है

अभियुक्त के लिए एक "लिखित नोटिस" के रूप में माना गया और कि उस समय केवल अभियुक्त को पेश करना

अनुदान के लिए लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर विचार

विस्तार का और उसे सूचित करना कि

जांच पूरी करने के लिए अवधि का विस्तार

विचार किया जा रहा था के लिए पर्याप्त सूचना होगी

अभियुक्त "।

[जोर दिया गया]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. आतिफ नासिर मुल्ला 3 के मामले में, इस न्यायालय ने पोटा के तहत इसी तरह के प्रावधान पर विचार किया। उक्त निर्णय में संजय दत्त 2 के मामले में निर्धारित कानून का पालन किया गया। मामले के तथ्यों में, यह पाया गया कि जब अदालत द्वारा जांच जारी रखने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया गया था, तब आरोपी अपने वकील के साथ मौजूद था और वास्तव में, विस्तार के लिए अनुरोध करने वाली रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी को प्रदान की गई थी ताकि वह जवाब दाखिल कर सके।

27. संजय कुमार केडिया के मामले में, इस न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत इसी तरह के प्रावधान पर विचार किया। लेकिन इस अदालत ने ऐसा नहीं किया

संजय दत्त 2 के मामले में बाध्यकारी मिसाल पर विचार करें। इसलिए, यह निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल नहीं होगा।

28. सी. आर. पी. सी. की धारा 167 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में कहा गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट आरोपी को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।

पुलिस की अभिरक्षा जब तक कि आरोपी को व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश नहीं किया जाता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा सकता है

अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से पेश करना। इस प्रकार, कानून की आवश्यकता यह है कि न्यायिक हिरासत तक रिमांड का विस्तार करते समय, आरोपी की उपस्थिति या तो शारीरिक रूप से या वस्तुतः प्राप्त की जानी चाहिए।

रिमांड बढ़ाने के लिए। जब विशेष न्यायालय धारा की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत विस्तार देने की शक्ति का प्रयोग करता है 20 2015 के अधिनियम के अनुसार, यह अनिवार्य रूप से न्यायिक हिरासत को 90 दिनों की अवधि से आगे 180 दिनों तक बढ़ा देगा। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के खंड (बी) की आवश्यकता के संदर्भ में भी, विशेष न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करना अनिवार्य है जब अभियोजन पक्ष द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया जाता है। वास्तव में, संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने संजय दत्त 2 के मामले में अपने फैसले में पैराग्राफ 53 (2) (ए) के पहले भाग में ऐसा माना है। रिपोर्ट की आवश्यकता

2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में जोड़े गए परंतुक के तहत दो गुना है। सबसे पहले, लोक अभियोजक की रिपोर्ट में,

जाँच निर्धारित की जानी चाहिए और दूसरी बात, रिपोर्ट में अभियुक्त की हिरासत को 90 दिनों की उक्त अवधि से आगे जारी रखने के विशिष्ट कारणों का खुलासा किया जाना चाहिए। इसलिए, समय का विस्तार एक खाली जिगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम नहीं है।

गुजरात राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

औपचारिकता। लोक अभियोजक को विस्तार के लिए एक रिपोर्ट/आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपना दिमाग लगाना होता है। अभियोजन पक्ष को उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं के संदर्भ में एक मामला बनाना होता है और न्यायालय को विस्तार देने के अनुरोध को स्वीकार करने से पहले रिपोर्ट की सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए।

29. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संजय दत्त 2 के मामले में वृहद पीठ द्वारा हितेंद्र के मामले में निर्णय में किया गया एकमात्र संशोधन

विष्णु ठाकुर 1 विस्तार के लिए आवेदन के नोटिस की सेवा के तरीके के बारे में है। इतने शब्दों में, निर्णय के पैराग्राफ 53 (2) (ए) में, संजय दत्त 2 के मामले में इस अदालत ने कहा कि पेश करना अनिवार्य है। अभियुक्त उस समय जब न्यायालय विस्तार के लिए आवेदन पर विचार करता है और अभियुक्त को सूचित किया जाना चाहिए कि जाँच की अवधि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अभियुक्त अधिकार के रूप में रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का हकदार नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें की गई जाँच का विवरण हो सकता है। लेकिन, अगर हम प्रत्यर्थियों की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि मामले में अभियुक्त का कोई कहना नहीं है, तो अभियुक्त को पेश करके नोटिस देने की आवश्यकता एक खाली और अर्थहीन औपचारिकता बन जाएगी। इसके अलावा, यह खिलाफ होगा

30. समय बढ़ाने का तार्किक और कानूनी परिणाम अभियुक्त को उपलब्ध अक्षम्य अधिकार से वंचित करना है। डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने के लिए। यदि हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त को अदालत के समक्ष पेश करने और उसे सूचित करने में विफल रहा है

कि न्यायालय द्वारा विस्तार के आवेदन पर विचार किया जा रहा है, केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है, यह द्वारा जोड़े गए परंतुक को नकार देगा

2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) और यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसका कारण यह है कि समय का विस्तार अभियुक्त [2022] 13 एस. सी. आर. के अधिकार को छीन लेता है।

डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने के लिए जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया, जिसका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने से पहले पालन किया जाना आवश्यक है, एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। वास्तव में, अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता की रक्षा में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की शारीरिक या वस्तुतः उपस्थिति प्राप्त करने में विफलता और उसे यह सूचित करने में विफलता कि लोक अभियोजक द्वारा समय बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर विचार किया जा रहा है, केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है। यह घोर अवैधता है जो अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

31. यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि अभियुक्त को पेश करने में विफलता उसके लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जांच को पूरा करने के लिए समय का विस्तार देने से

अभियुक्त का पूर्वनिर्धारित जमानत के लिए आवेदन करने का अक्षम्य अधिकार। यह विस्तार के लिए प्रार्थना पर सीमित आपत्ति उठाने के आरोपी के अधिकार को छीन लेता है। समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर विचार के समय अभियुक्त को अदालत के समक्ष पेश करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन होगी। इस प्रकार, पूर्वाग्रह अंतर्निहित है और अभियुक्त द्वारा स्थापित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

32. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने नरेंदर जी. गोयल के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। में शामिल मुद्दा

वह मामला जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का नहीं था। इसमें आम तौर पर जिस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, वह जांच के चरण में आरोपी की सुनवाई के अधिकार के बारे में है। सुरेंद्र पुंडलिक गाडलिंग के मामले में इस अदालत के फैसले पर उनकी निर्भरता से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें आरोपी को न केवल अदालत के समक्ष पेश किया गया था, बल्कि उसे समय बढ़ाने के लिए आवेदन की एक प्रति प्रदान की गई थी। अभियुक्त की शिकायत थी कि आवेदन को चुनौती देने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया था। इस तर्क को खारिज कर दिया गया।

33. हाथ में मामलों के तथ्यों में, जब विशेष न्यायालय ने लोक अभियोजक द्वारा अनुदान के लिए प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार किया समय के विस्तार के बाद, अपीलकर्ताओं की उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष अदालत के समक्ष स्वीकार नहीं की गई थी। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि लोक अभियोजक द्वारा ऐसी रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में जानकारी अभियुक्त को प्रदान नहीं की गई थी। विवादित फैसले में यह उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 के कारण, आरोपी को जिगर @जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करने की अनुमति नहीं थी।

गुजरात राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

विशेष न्यायालय। इसके अलावा, आरोपी अलग-अलग जेलों में थे और इसलिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्पादन बहुत धीमा होता। यह मानते हुए कि उत्पादन की प्रक्रिया धीमी रही होगी, यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोपी की उपस्थिति प्राप्त नहीं करने का कोई बहाना नहीं है। इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि जनवरी 2021 में संबंधित न्यायालय में लागू मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जब विस्तार देने वाले विवादित आदेश पारित किए गए थे, तो अभियुक्त को विशेष न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करने की अनुमति नहीं थी।

रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि तकनीकी कारणों/कठिनाइयों ने अभियोजन पक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष अदालत के समक्ष आरोपी को पेश करने से रोका। यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि जनवरी 2021 में गुजरात राज्य के राजकोट में अदालत में संपर्क का कोई मुद्दा था। वास्तव में, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादियों की दलीलों में उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं चलाया गया था।

34. हमे यहाँ ध्यान देना चाहिए कि लोक अभियोजक द्वारा 90 की अवधि की समाप्ति से लगभग एक सप्ताह पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। दिन होते हैं। प्रत्येक मामले में, सात दिन या उससे अधिक की अवधि उपलब्ध थी

नब्बे दिनों की अवधि का समापन। विशेष न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर उसी दिन आदेश पारित किए गए थे जिस दिन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इतनी जल्दबाजी का कोई कारण नहीं था। विशेष अदालत हमेशा अभियोजन पक्ष को शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोपी की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों का समय दे सकती थी। अभियुक्त रिपोर्ट की सामग्री को जानने का हकदार नहीं हो सकता है, लेकिन वह कानूनी रूप से उपलब्ध आधारों पर समय बढ़ाने का विरोध करने का हकदार है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, का पालन किए बिना समय बढ़ाने का अनुदान

डिफ़ॉल्ट जमानत मांगने के अपने अधिकार के लिए अभियुक्त। इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। 35. जाँच की अवधि बढ़ाने के विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को विफलता के कारण अवैध बना दिया गया है

जब लोक अभियोजक द्वारा विस्तार की मंजूरी के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया गया था, तो प्रतिवादी को विशेष न्यायालय के समक्ष या तो शारीरिक रूप से या वस्तुतः पेश करना था। यह सुनिश्चित करना विशेष न्यायालय का कर्तव्य था कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा का पालन किया जाए। इसके अलावा, संजय दत्त 2 के मामले में इस अदालत द्वारा विचार किए गए मौखिक नोटिस को भी आरोपी को नहीं दिया गया था।

36. एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि पूरी जांच के लिए विस्तार देने वाले आदेश अवैध हैं और दूषित हो जाते हैं, तो यह इस प्रकार है कि अपीलार्थी डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार हैं।

37. जब उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया, तो अपीलकर्ताओं को अदालत द्वारा दिए गए समय के विस्तार की कोई सूचना नहीं थी। इसके अलावा, आवेदन थे

आरोप पत्र दाखिल करने से पहले किया गया। अतः, अपीलार्थी पूर्वनिर्धारित जमानत के हकदार हैं। इस स्तर पर, हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि संजय दत्त 2 के मामले के साथ-साथ 'बिक्रमजीत सिंह' के मामले में, इस अदालत ने कहा कि डिफ़ॉल्ट जमानत देने से याचिकाकर्ताओं की फिर से गिरफ्तारी नहीं होती है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ठोस आधार। इसके बाद, आरोपी हमेशा नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। तथापि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है

मोहम्मद इकबाल मदार शेख और अन्य का मामला। वी. महाराष्ट्र राज्य में पुनः गिरफ्तारी केवल आरोप पत्र दाखिल करने के आधार पर नहीं की जा सकती है। यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

38. तदनुसार, विशेष न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित आदेशों ने जांच को पूरा करने के लिए विस्तार दिया और

उच्च न्यायालय को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। अपीलार्थी करेंगे निम्नलिखित शर्तों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उप-धारा (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर विस्तार किया जाए:

(क) अपीलार्थी विशेष न्यायालय द्वारा तय की जाने वाली उचित प्रतिभूतियों के साथ रु. 1/- का जमानत मुचलका प्रस्तुत करेंगे।

(ख) अपीलार्थी अपने पासपोर्ट विशेष प्राधिकारी को सौंप देंगे।

प्रतिभूति प्रस्तुत करते समय न्यायालय;

(ग) अपीलार्थी आगे की जाँच, यदि कोई हो, में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे और प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।

अभियोजन पक्ष के गवाह; और

(घ) अपीलार्थी ऐसे पुलिस थाने में और ऐसे आवधिक अंतराल पर नियमित उपस्थिति दर्ज करेंगे, जो निर्धारित किया जाए।

विशेष न्यायालय द्वारा; और

(ङ) अपीलार्थी शीघ्रता से विशेष न्यायालय के साथ सहयोग करेंगे।

मुकदमे का समापन।

39. उपरोक्त शर्तों पर अपील की अनुमति है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए) 18 (1996) 1 एस. सी. सी. 722